लक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (...)
प्रतिवादीगण

डिक्री बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 11/2024

वादी

1. हड़मान पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी झाड़ेली तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गेनाराम पुत्र घासीराम
2. मंगाराम पुत्र घासीराम
3. लूणाराम पुत्र गुमानाराम
4. सुगनीदेवी पत्नि गुमानाराम
5. गोमती पुत्री गुमानाराम
6. भंवरूराम पुत्र देवाराम
7. शिवदान पुत्र हीरा राम
8. कुम्भाराम पुत्र शिवदानराम जातियान जाट निवासीगण झाड़ेली तहसील डेह
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –
1. वादी 1 कि ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका वं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :

1. वादी संख्या 1 हड़मान एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 लूणाराम, सुगनी, गोमती के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नम्बर 394/2 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार अ स्थान पर रकबा 0.4043 हैक्टेयर, व इसी खसरे में से ब स्थान पर रकबा 0. 1126 हैक्टेयर तथा इसी खसरे में से स स्थान पर रकबा 0.0600 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गेनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 394/2 रकबा 2.1044 में से माफिक नजरी नक्शानुसार अ स्थान पर रकबा 0.7608 हैक्टैयर, व इसी खसरे में से ब स्थान पर रकबा 0.1498 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 394/2 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार अ स्थान पर रकबा 0.4043 हैक्टेयर, व इसी खसरे में से ब स्थान पर 0.0650 हैक्टेयर तथा इसी खसरे में से स स्थान पर रकबा 0.0266 हैक्टेयर तथा इसी खसरे में से द स्थान पर रकबा 0.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 393 रकबा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

0.1133 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी में से रकबा 0.0377 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

4. वादी हड़मान व प्रतिवादी 2 मंगाराम के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 394/2 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार रकबा 0.0025 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

5. प्रतिवादी संख्या 6 भंवरूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 393 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी में से रकबा 0.0377 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 394/1 रकबा 0.9308 हैक्टेयर यथावत माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

6. प्रतिवादी संख्या 7 शिवदान के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 393 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी में से रकबा 0.0378 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

7. प्रतिवादी संख्या 8 कुम्भाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 1004/394 रकबा 1.7563 हैक्टेयर यथावत माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

8. मौजा झाड़ेली के खसरा नम्बर 394/2 रकबा 2.1044 हैक्टेयर में से माफिक नजरी नक्शानुसार रकबा 0.0685 हैक्टेयर रास्ता हेतु राजस्थान सरकार के हक में गैर मुमकिन रास्ता कि घोषणा कि जाती है

9. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेग। बैंक सूचित हो।

10. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि ओदश का भाग रहेगा।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.11.14 को जारी किया गया

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner